GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/ 345
No PC-V/2010/A/TA/1

RBE No. 100 /2014
New Delhi, dated 12 .09.2014

The General Managers/CAO(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Grant of Transport Allowance @ 7000 p.m+DA thereon to officers drawing Grade Pay of ₹10000, ₹12000 on Non-functional basis-clarification reg.

Attention is invited to Board's letter of even number dt.07.07.2014 (RBE No.68/2014) on the above subject whereby it was clarified that those officers who are upgraded to Grade Pay of ₹10000/PB-4 scale on the basis of Dynamic ACP or due to non-functional in-situ upgradation shall not be eligible for grant of Transport Allowance @7000 p.m+DA thereon. On receipt of representations from IRMS Association this matter was further reviewed by the Board in the light of earlier instructions contained in Board's letter No.PC-V/2008/ACP/2, dt. 07.07.2010 and Board have decided that the IRMS Officers having Grade Pay of ₹10000/- on promotion through DACP Scheme are to be treated at par with SAG Officers for payment of Transport Allowance @7000 p.m plus DA thereon. However, officers of other organized services who get similar grade on non-functional upgradation basis shall not be eligible for the same.

2. Necessary action as per above decision may please be taken.

3. This issues with the concurrence of Finance Dte. of Railway Board.

4. Hindi version is enclosed.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

No. PC-V/2010/A/TA/1

New Delhi dt. 12 .09.2014

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र. सं. पीसी-VI/ **345** आरबीई सं. **100/2014**
सं. पीसी-V/2010/ए/टीए/1 नई दिल्ली, दिनांक 12.09.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(रेलवे)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : गैर-कार्यात्मक आधार पर ग्रेड पे ₹10000/- रुपए, ₹12000/- रुपये प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 7000/-रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता + उस पर महंगाई भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 07.07.2014 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 68/2014) की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि वे अधिकारी जिन्हें डायनेमिक एसीपी अथवा गैर-कार्यात्मक के कारण यथावत अपग्रेडेशन के आधार पर ग्रेड पे ₹10000/पीबी-4 वेतनमान में अपग्रेड किया गया है, 7000/- रुपये प्रतिमाह की दर पर परिवहन भत्ता व उस पर महंगाई भत्ता पाने के पात्र नहीं होंगे। आईआरएमएस एसोसिएशन से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर बोर्ड के दिनांक 07.07.2010 के पत्र सं. पीसी-V/2008/एसीपी/2 में निहित पूर्व अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की बोर्ड द्वारा पुन: समीक्षा की गई और बोर्ड ने यह विनिश्चय किया है कि डीएसीपी योजना के माध्यम से पदोन्नति होने पर ग्रेड पे ₹ 10000/- पाने वाले आईआरएमएस अधिकारियों को 7000/- रुपये प्रतिमाह की दर पर परिवहन भत्ता व उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए एसएजी अधिकारियों के समतुल्य माना जाएगा। बहरहाल, संगठित सेवा के वे अधिकारी जो गैर-कार्यात्मक अपग्रेडेशन के आधार पर समान ग्रेड पे प्राप्त कर रहे हैं इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग – V
रेलवे बोर्ड